

765
8-7-05

पत्र-II

246

137

664



राजस्थान राज-पत्र

द्विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

R.N.I. No.-RAJ PH/2000/1717

POSTAL REGD. No.-J.P.C.358802/DN-05

RAJASTHAN GAZETTE

Extraordinary

Published by Authority

चैत्र 7, सोमवार, शाके 1927—मार्च 28, 2005

Chaitra 7, Monday, Saka 1927—March 28, 2005

भाग 4(ग)

उप-खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य-राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये
कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 21, 2005

एस. ओ. 444:—राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961
(अधिनियम संख्या 38 स. 1961) की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों
का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की संलग्न
अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिनियम की संलग्न अनुसूची में क्रम संख्या 6 पर अंकित
शीर्षक "सब्जियां" के अन्तर्गत विद्यमान अभिव्यक्ति "पालक",
"हरे पत्ते वाला घनियां", "हरी पत्तीदार मेथी" को विलोपित
किया जाता है।

(संख्या प. 10 (2) कृषि/ग्रुप-2/75)

राज्यपाल के आदेश से,

के. सी. वर्मा,

उप शासन सचिव।